न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 1/2022 (GCMS NO. 2022/9)

1. होशियार सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. देवकरण पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मंजू देवी पत्नी नेमीचंद जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

1. शीशराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी खरकड़ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. विद्याधर पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. रचना पुत्री नेमीचंद जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. रोनक पुत्र नेमीचंद जाति जाट निवासी खरकड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. विजया बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
7. झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान
वकील अप्रार्थी – श्री विनोद कुमार गिल

निर्णय

दिनांक 24.01.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम खरखड़ी पटवार हल्का लुणा की सरहद में खाता संख्या 84 के ख0न0 150 रकबा 0.02 है0, ख0न0 151 रकबा 0.10 है0, ख0न0 154 रकबा 0.28 है0, ख0न0 215/152 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 है0, खाता संख्या 32 के ख0न0 152 रकबा 0.79 है0, ख0न0 161 रकबा 0.38 है0, ख0न0 211/156 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 है0 व खाता संख्या 34 के ख0न0 153 रकबा 0.26 है0, ख0न0 214/152 रकबा 0.39 है0, ख0न0 119/4 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 व खाता संख्या 68 के ख0न0 158 रकबा 1.08 है0, ख0न0 212/157 रकबा 0.05 है0, ख0न0 236/149 रकबा 0.43 है0, ख0न0 239/160 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.85 है0 तथा खाता संख्या 66 के हाल ख0न0 148 रकबा 0.75 है0, ख0न0 229/159 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण एवं अनावेदकगण की पैतृक खातेंदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर आवेदकगण अपने दर्ज हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। आवेदकगण अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत ख0न0 148 व 236/149 से होकर आवागमन करते रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने से अनावेदक संख्या 1 व 2 ने आगे रास्ता बंद करने की धमकी दे रहे।

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

इसलिये आवेदकगण उक्त रास्ते को 5 मीटर चौड़ाई का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। अन्त में आवेदकगण को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये अनावेदकगण 1 2 के खेत ख0न0 148 व 236/149 के सीमा से होते हुये 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1, 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा ख0न0 153, 214/152, 215/152, 152, 216/152, 217/152 व 151 में जाने हेतु ख0न0 148 व 236/149 में से रास्ते की मांग की गई है परन्तु ख0न0 216/152 व 217/152 के खातेदार प्यारेलाल व रामस्वरूप को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सह खतेदारान को बिना पक्षकार बनाये अकेला खातेदार इस प्रकार का आवेदन पत्र पेश नहीं कर सकता है। आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही खारीज होने योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया गया कि आवेदकगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने पर सहमत हो तो रास्ता दिया जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदकगण संख्या 3, 4 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 3 व 4 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 391 दिनांक 28.02.2022 में खरकड़ी से जैतपुरा जाने वाली सड़क से ख0न0 236/149 की पूर्वी सीमा के सहारे ख0न0 150 गै0मु0 रास्ता जो वादी होशियार सिंह पुत्र रामकरण की खातेदारी में दर्ज है, तक सबसे निकटतम दुरी बताई गई है और यही रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं अनावेदक संख्या 1 व 2 से 5 मीटर चौड़ा रास्ता खरकड़ी से जैतपुरा सड़क से ख0न0 150 गै0मु0 रास्ता तक दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण ने बहस के दौरान कथन किया कि आवेदकगण द्वारा ख0न0 148 व 236/149 दोनो की सीमा से होते हुये रास्ता चाहा है दोनो खातेदारान की जमीन आवेदकगण की भूमि से सटती हुई है। अतः आवेदकगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत है तो आवेदकगण को ख0न0 148 व 236/149 की सीमा से होते हुये रास्ता दिये जाने में अनावेदकगण संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। वकील आवेदकगण ने जमीन के बदले जमीन देने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदकगण को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र ख0न0 148 व 236/149 की सीमा में से रास्ता उपलब्ध है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 जो भूमि ख0न0 148 व 236/149 के खातेदार है, के द्वारा भी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता देने में सहमत है। आवेदकगण द्वारा भी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत है। अतः तमाम तथ्यों एवं आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य हुई सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खरकड़ी से जैतपुरा सड़क से ख0न0 150 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 148 व 236/149 की सीमा से होते हुये प्रत्येक खसरा नम्बर में 2.5–2.5 मीटर कुल 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि खेत ख0न0 148 व 236/149 के खातेदारान को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/23

(हबाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर